बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./...61.../2022-469

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागपुर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

पटना 14, दिनांक– 02/06/2022

विषय – भागलपुर, कटिहारी, पूर्णियाँ अररिया एवं किशनगंज जिलान्तर्गत नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 0.425 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

निदेशानुसार नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि० द्वारा पारादीप–नुमालीगढ़ Crude Oil अन्दर ग्राउन्ड पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन) मुख्य प्रबंधक (प्रोजेक्ट पाईपलाईन) नुमालीगढ़ रिफाईनरी लि0, 122A जी0 एस0 रोड़ चिरिसटानबस्ती गुवाहाटी से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव मूल रूप में संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि इसकी स्थलीय जाँच कर भाग–II में अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव संबंधित वन संरक्षक को समर्पित किया जाय। संबंधित वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव के भाग–III में अपनी अनुशंसा अंकित कर इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। जाँच में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाय–

(i) परियोजना निर्माण स्थल की वैधानिक स्थिति, अगर सुरक्षित/रक्षित वन घोषित है तो अधिसूचना की पठनीय प्रति संलग्न की जाय।

(ii) परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाली वृक्षों की गणना कर स्थलीय सत्यापन एवं तत्सम्बन्धी अभियुक्ति अंकित किया जाये।

(iii) संलग्न नक्शा का भौतिक सत्यापन किया जाये एवं हस्ताक्षर अंकित किया जाय।

(iv) परियोजना निर्माण में प्रयुक्त होने वाली पथ तट/नहर तट/नदी तट की भूमि के क्षेत्रफल की किलोमीटरवार गणना कर अपयोजित होने वाले भू–भाग का रकबा अंकित किया जाय।

(v) स्थल निरीक्षण टिप्पणी अलग से संलग्न किया जाय।

(vi) इस क्षेत्र में वन्यप्राणी से संबंधित अभियुक्ति (यदि ऐसा है) तो अलग से अंकित किया जाय।

(vii) परियोजना निर्माण क्षेत्र से राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी आश्रयणी की दूरी अंकित की जाय।

(viii) परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों के दस गुणें पौधों के रोपण हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्रक्कलन प्रस्ताव के संलग्न किया जाय।

(viii) अपयोजित होने वाली वन भूमि का FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

(ix) परियोजना निर्माण के क्रम में अपयोजित होने वाली वन भूमि का DGPS Reading भी संलग्न किया जाय।

जाँचोपरांत प्रस्ताव वापस भेजने हेतु एतद्संबंधी नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित समय सीमा का कृपया ध्यान रखा जाय।

अनु0–यथोक्त।

प्रस्ताव मूलरूप में (आठ प्रतियाँ)

विश्वासभाजन,

07-06-12

(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक:—
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार
कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
"अरण्य भवन", तृतीय तल
पो०–बी० भी० कॉलेज
पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800014

पत्रांक –(469 अनु॰ दि०-02/06/2022
प्रस्ताव (08) आठ प्रतियों के साथ मूलरूप में।
Bablu
07/06/22
प्राप्तकर्ता का ह०
D.F.O. भागलपुर।

पत्रांक - 469 अनु॰ दि - 02/06/2022
प्रस्ताव (08) आठ प्रतियों के साथ मूलरूप में।
07/06/2022
प्राप्तकर्ता का ह०
D.F.O पूर्णिया।

पत्रांक - 469 अनु॰ दि०- 02/06/2022
प्रस्ताव (08) आठ प्रतियों के साथ मूलरूप में।
08/06/22
प्राप्तकर्ता का ह०
D.F.O अररिया।

प्रेषकः—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार
कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
"अरण्य भवन", तृतीय तल
पो०–बी० भी० कॉलेज
पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800014

पत्रांक- 469 दि०- 02/06/2022

प्राप्तकर्ता का ह०
[signature] 07/6/22
for C.F भागलपुर।

पत्रांक- 469 दि०- 02/06/2022

[signature] 07/06/2022
प्राप्तकर्ता का ह०

C.F पूर्णियाँ।